



THE COURT न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.) 09-02-21

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 694 Of 2021

विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा पुलिस थाना - कुरेगांव

DN 348 (B)

1

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
-----------------------------	---	--

08-02-2021

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय कॉलजियम में सम्मिलित होने एवं उनके प्रथम प्रभारी न्यायाधीश अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।  
आवेदक सहायत खान की ओर से श्री सुरेश कुमार वर्मा अधिवक्ता ने यह आवेदन पत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पेश किया गया है।  
आवेदन पत्र अनुसार आवेदक का यह अभिज्ञान जमानत आवेदन पत्र होना बताया गया है।

जमानत आवेदन पत्र विधिवत् पंजीबद्ध किये जाने हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन केन्द्र प्रेषित किया जावे।

आवेदक विधिवत् तलवाना मय आवेदन पत्र की नकल अदा करे तो केस डायरी मय प्रतिवेदन/अधिनरथ न्यायालय का अभिलेख तलब हो।

आवेदन पत्र विचारार्थ दिनांक 09-02-21 को पेश हो

(एम.के. जैन)

28व अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर  
वास्त-सत्र न्यायाधीश, इन्दौर

आरक्षी केन्द्र से अप. क 02/2021 धारा 295-A, 298, 269

L.88, 34 I.P.C. की केस डायरी अभिलेख प्राप्त हुआ।

दिनांक 09/02/21

Date 9/2/2021

This Bail is Made Over to the Court of J. K. J. J. Indore for disposal according to Law

**Dinesh Kumar Patilwal**  
Session Judge  
INDORE (M.P.)





Date of  
order or  
proceeding

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

अवलंबित है, उन सभी का भविष्य खतरे में होकर सजा के पूर्व ही उसे सजा भुगताना पड़ेगी। प्रकरण में उससे किसी प्रकार की जप्ती नहीं होना है, न ही उसकी अनुसंधान में आवश्यकता है। वह न्यायालय द्वारा निर्देशित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दप्रसं के समर्थन में मोहम्मद सलीम का शपथ पत्र इस आशय का पेश है कि आरोपी की ओर से यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दप्रस पेश किया जा रहा है, उक्त जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी भी अन्य सत्र न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही किसी भी न्यायालय से अथवा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर म.प्र. से निराकृत हुआ है।


जमानत आवेदन के समर्थन में फेहरिस्त अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन क्रिगिनल नंबर 62/2021 आदेश दिनांक 05.02.2021 की प्रतिलिपि तथा इस न्यायालय के जमानत आवेदन क्रमांक 159/2021 आदेश दिनांक 11.01.2021 की प्रतिलिपि, आरोपी सदाकत के मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति और रोशनी को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2021 की छायाप्रति एवं रोशनी प्रोजेक्ट के संबंध में मोबाइल मैसेज की छायाप्रति पेश की गई है।

अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन के संबंध में मौखिक आपत्ति की है।

पुलिस थाना तुकोगंज इंदौर की ओर से भी जमानत आवेदन के संबंध में लिखित आपत्ति पेश की गयी है जिसमें घटना के तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी सदाकत उसके साथी मुनव्वर के साथ इस प्रकार के शो ऑनलाईन सोशल मिडिया के जरीये प्रसार प्रचार कर आयोजित करता है तथा इसके विरुद्ध मुम्बई एवं जार्ज टाउन थाना उत्तर प्रदेश में भी अपराध दर्ज है। कार्यक्रम की रिकार्डिंग में सदाकत खान मुनव्वर का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहा है तथा उसके मोबाइल में भी कार्यक्रम की रिकार्डिंग है। कुछ समय पूर्व इंदौर जिले और उज्जैन जिले में धर्म विशेष की टिप्पणी एवं गतिविधियों के कारण कानून अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया।

थाना तुकोगंज, इंदौर के अपराध क्र. 0002/2021 धारा 295ए, 298, 269, 188, 34 भादसं. की केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक 01.01.2021 को फरियादी एकलव्य सिंह गौड़ ने थाना तुकोगंज में लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि दिनांक 01.01.2021 को एक

  
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, व्या.

